



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022024-252230
CG-DL-E-19022024-252230

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 19, 2024/माघ 30, 1945

No. 104]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 19, 2024/MAGHA 30, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2024

सं. 10/2024-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 115(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. संख्या 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(1) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3कक.	0207 25 00; 0207 27 00	टर्की का मांस और एडिबल ओफल, फ्रोजन	5%	-	-";

(2) क्रम संख्या 32क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"32कक.	0810 40 00	क्रैनबेरी, ताजा; ब्लूबेरी, ताजा	10%	-	-
32कख.	0811 90	क्रैनबेरी, फ्रोजन; ब्लूबेरी, फ्रोजन	10%	-	-
32कग.	0813 40 90	क्रैनबेरी, सूखे; ब्लूबेरी, सूखे	10%	-	-";

(3) क्रम संख्या 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"90क.	2008 93 00	क्रैनबेरी, अन्यथा तैयार या संरक्षित, चाहे इसमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा करने वाला पदार्थ या स्पिरिट शामिल हो या नहीं, अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं है	5%	-	-
90ख.	2008 99	ब्लूबेरी, अन्यथा तैयार या संरक्षित, चाहे इसमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा करने वाला पदार्थ या स्पिरिट शामिल हो या नहीं, अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं है	10%	-	-";

(4) क्रम संख्या 100 के सामने, कॉलम (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2202 99" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(5) क्रम संख्या 304क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"304ख.	5201 00 25	अन्य: स्टेपल की लंबाई 32.0 मिमी से अधिक	शून्य	-	-।

2. यह अधिसूचना 20 फरवरी, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/166/2023-टीओ(टीआरयू-1)]

विक्रम वानेरे, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि.सं. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 08/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जनवरी, 2024, जिसे सा.का.नि. सं. 78(अ), दिनांक 30 जनवरी, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2024

No. 10/2024-Customs

G.S.R. 115(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (1) after S. No. 3 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“3AA.	0207 25 00; 0207 27 00	Meat and edible offal, of turkeys, frozen	5%	-	”;

- (2) after S. No. 32A and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“32AA.	0810 40 00	Cranberries, fresh; Blueberries, fresh	10%	-	-
32AB.	0811 90	Cranberries, frozen; Blueberries, frozen	10%	-	-
32AC.	0813 40 90	Cranberries, dried; Blueberries, dried	10%	-	”;

- (3) after S. No. 90 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“90A.	2008 93 00	Cranberries, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included	5%	-	-
90B.	2008 99	Blueberries, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included	10%	-	”;

- (4) against S. No. 100, in column (2), for the entry, the entry “2202 99” shall be substituted;

- (5) after S. No. 304A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“304B.	5201 00 25	Other: of staple length exceeding 32.0 mm	Nil	-	”.

2. This notification shall come into force on the 20th of February, 2024.

[F. No. CBIC-190354/166/2023-TO(TRU-I)]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 08/2024-Customs, dated the 30th January, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 78(E), dated the 30th January, 2024.